न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/148/2019	15—10—2019	18—11—2020

01—टिन्नी पुत्र ईसब पुत्र कादर

02—सब्बू पुत्र नवल खॉ पुत्र कादर जाति मेवान निवासीयान ग्राम मिलकपुर तुर्क तहसील तिजारा अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा।
2. नायब तहसीलदार टपूकडा तहसील तिजारा।
3. अमीना पत्नि नूरमौहम्मद पुत्र रहमीबक्श
4. आसब
5. जब्बार
6. समयदीन
7. उमरदीन पुत्रान नूरमौहम्मद पुत्र रहीमबक्श
8. शेरमौहम्मद पुत्र रहीमबक्श
9. बक्सर पत्नि जानमौहम्मद पुत्र रहीमबक्श
10. शौकत
11. म्मरेज
12. मुबारिक
13. रिजवान
14. सुबीन पुत्रान जानमौहम्मद पुत्र रहमीबक्श
15. रिहाना पुत्री जानमौहम्मद पुत्र रहमीबक्श
16. समीना पत्नि अलीजान पुत्र रहीमबक्श
17. मुस्ताक
18. जावेद
19. मुसलूम
20. मन्जूर
21. इरताक
22. इस्लाक
23. नूरइलाही
24. जाहिद पुत्रान अलीजान पुत्र रहीमबक्श
25. अरफीना पुत्रीयान अलीलान पुत्र रहीमबक्श जाति मेवान निवासीयान ग्राम मिलकपुर तुर्क तहसील तिजारा अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

26. मुरफीना पुत्री अलीजान पत्नि हारून जाति मेव हाल निवासी चॉदोली अलवर

27. मुस्तकीम पुत्र हुरदीन पुत्र रहीमबक्श जाति मेव निवासी ग्राम मिलकपुर तुर्क तहसील तिजारा अलवर

28. महरूना पुत्री हुरदीन पत्नि साहून

29. सहरूना पुत्री हुरदीन पत्नि जमशेद जाति मेव हाल निवासी जलालपुर तह0 हथीन जिला नूहँ मेवात

30. साहिना पुत्र हुरदीन पत्नि साहिद जाति मेव हाल निवासी रावलकी तह0 पुन्हाना जिला नॅूह मेवात

31. सकिल पुत्र हुरबी पुत्री रहीमबक्श जाति मेव हाल निवासी कैराका तहसील व जिला नॅूह मेवात

32. रबीना पुत्री हुरबी पत्नि अरसद

33. अफसीना पुत्री हुरबी पत्नि जमशेदर जाति मेव हाल निवासी निम्बाहेडी तह0 तिजारा अलवर

34. आसिया पत्नि करीमबक्श

35. अब्दुल सत्तार

36. हकमूदीन पुत्रान करीमबक्श जाति मेव निवासी ग्राम मिलकपुर तुर्क तह0 तिजारा अलवर

37. बिसमिल्ला पुत्री करीमबक्श पत्नि अबदल

38. नरेशी पुत्री करीमबक्श पत्नि हारून जाति मेव हाल निवासी ग्राम खोह धासौली तह0कि0बास अलवर

39. हारूनी पुत्री करीमबक्श पत्नि दीनू जाति मेव हाल निवासी गुराकछर तहसील हथीन जिला पलवल

40. रहमति पत्नि मलूका पुत्र रूपा

41. हमीद

42. मुबीन पुत्रान मलूका पुत्र रूपा जाति मेव निवासी ग्राम मिकलपुर तुर्क तह0 तिजारा अलवर

43. जमीला पुत्री मलूका पत्नी नसरू

44. फरीदा पुत्री मलूका पत्नि सिज्जा जाति मेव हाल निवासी बिसरू तह0 पुन्हाना जिला नॅूह मेवात

45. सम्मन पुत्री मलूका पुत्र रूपा जाति मेव निवासी मिलकपुर तुर्क तह0 तिजारा अलवर

46. हन्नी पुत्री मलूका पत्नी समयदीन जाति मेव हाल निवासी सामौला तह0 अलवर

47. रूजदार

48. लीला पुत्रान रूपा मेव निवासी ग्राम मिलकपुर तुर्क तह0 तिजारा अलवर

49. चॉदबी पत्नि रहमान पुत्र पटमल

50. मौजी

51. कोलखॉ

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

52. मुन्जा पुत्रान रहमान पुत्र पटमल जाति मेव निवासी ग्राम मिलकपुर तुर्क तह0 तिजारा अलवर

—रैस्पोडेन्टान

53. हनीफ

54. हसन

55. जुबेर पुत्रान ईसब पुत्र कादर

56. अरसद पुत्र नूरदीन पुत्र मुन्शी खॉ पुत्र कादर

57. सददीक

58. सुब्बा

59. दीना पुत्रान मुन्शी खॉ पुत्र कादर

60. सब्बीर पुत्र नवलखॉ पुत्र कादर

61. सुलेमान पुत्र कादर

62. नवाब पुत्र सिजे पुत्र निवाजखॉ

63. हारून

64. सहीद पुत्रान ईसब पुत्र निवाजखॉ

65. सुरजन पुत्र निवाजखॉ पुत्र नवलखॉ जाति मेव निवासीयान ग्राम मिलकपुर तुर्क तह0 तिजारा अलवर।

—तर0रैस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार टपूकडा के आदेश दिनांक 15—06—1985 नामान्तकरण संख्या 147 वाके ग्राम मिलकपुर तुर्क तहसील तिजारा जिला अलवर।

उपस्थितः—

01.श्री रामोतार यादव —वकील अपीलान्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 15—06—1985 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 147 वाके ग्राम मिलकपुर तुर्क तहसील तिजारा जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

जिला कलेक्टर अलवर (राज0)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पा0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी रूपा, पटमल, कादर व नवालखॉ की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसमें सभी का 1/3, 1/3, 1/3 भाग निहित रहा है। उनके मरने के बाद इनके विधिक वारिसान काबिज चले आ रहें है। अपीलान्ट व तर0 रैस्पा0 53 ला0 65 व असल रैस्पा0 3 ला0 52 के पूर्वजो की कब्जे काश्त खातेदारी की

आराजी है। असल रैस्पा0 2 ने असल रैस्पा0 1 के आदेश पर तथा असल रैस्पा0 से मिलीभगत कर उनके नाम का विवादित इंतकाल को दिनांक 105.6.1985 को कैम्प टपूकडा में स्वीकार किया गया है। जिसकी सूचना अपीलान्ट व तर0 रैस्पा0 सूचित किया और ना ही चौपाल पर इश्तहार लगाया गया और तहत अदालत ने रैस्पा0 3 लगा0 52 के पक्ष में स्वीकार किया गया। जबकि अपीलान्ट व रैस्पा0 एवं तर0 रैस्पा0 सभी का 1/3, 1/3 ,1/3 इंतकाल दर्ज व स्वीकार होना चाहिऐ था। तहत अदालत ने आलौच्य आदेश इंतकाल स्वीकार करते समय ना तो रिकार्डस का अवलोकन किया और ना ही कोई नोटिस जारी किये ना ही सुनवाई कर अवसर भी नहीं दिया गया। रैस्पा0 अपीलान्ट व तर0 रैस्पा0 को अपने पूर्वजो से मिली विरासत की आराजी से बेदखल करने व दीगर जगह रहन बैय आदि से मुन्तकिल करने की धमकी दी है। रैस्पा0 को नोटिस व अखबार साया से उपस्थित होने के लिए प्रकाशित कराये गये किन्तु असल रैस्पा0 आज दिन तक प्रकरण में पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हुऐं है। अपीलीय आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलीय आदेश विधि अनुरूप नहीं है, क्योकि इंतकाल की कार्यवाही समरी प्रोसीडिग्स है। अपीलान्ट को इंतकाल की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 25—09—2016 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून के साथ पेश की है प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें एवं अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा—5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश दिनांक 15—06—1985 के विरूद्व दिनांक 18.4.17 को इस न्यायालय में पेश की है जो 32 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा—5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाधीन इंतकाल का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि विवादित इंतकाल को दिनांक 15.6.1985 को कैम्प टपूकडा में स्वीकार किया गया है। जिसकी सूचना अपीलान्ट व तर0 रैस्पा0 सूचित किया और ना ही चौपाल पर इश्तहार लगाया गया और तहत अदालत ने रैस्पा0 3 लगा0 52 के पक्ष में स्वीकार किया गया। जबकि अपीलान्ट व रैस्पा0 एवं तर0 रैस्पा0 सभी का 1/3, 1/3 ,1/3 इंतकाल दर्ज व स्वीकार होना चाहिऐ था। तहत अदालत के अपीलीय आदेश का अवलोकन किया गया, तहसीलदार तिजारा के आदेश कायमी दुरूस्ती क्रमांक नील दिनांक 15.2.83 की पालना में तहत अदालत द्वारा अपीलीय इंतकाल दिनांक 15.6.85 को दर्ज व स्वीकार किया गया है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा कोई कानूनी त्रुटी प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार टपूकडा के आदेश दिनांक 15—06—1985 को यथावत रखा जाता है। निर्णय

की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)